साइबर धोखाधड़ी एवं फर्जी सिम के दुरुपयोग पर रोक लगाने हेतु दूरसंचार विभाग एवं पलवल पुलिस द्वारा संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

दूरसंचार विभाग (DoT), हरियाणा लाइसेंस्ड सर्विस एरिया (LSA) तथा पलवल पुलिस द्वारा जिला पुलिस कार्यालय, पलवल के सभागार में दिनांक 26-मई-2026 को एक संयुक्त *इंटरैक्शन-कम-अवेयरनेस कार्यक्रम* आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी एवं साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु दूरसंचार सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना तथा विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना था। कार्यक्रम की संयुक्त अध्यक्षता श्री राधाचरण शाक्य, अतिरिक्त महानिदेशक दूरसंचार, हरियाणा LSA तथा श्री नितीश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, पलवल द्वारा की गई। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) एवं पॉइंट ऑफ सेल (PoS) एजेंटों सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में अतिथियों का स्वागत पौधारोपण कर किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सहभागिता का प्रतीक रहा। कार्यक्रम के दौरान श्री सचिन, एडीजी, दूरसंचार विभाग द्वारा विभाग की विभिन्न पहलों एवं साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु किए जा रहे प्रयासों पर प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित रहे—

साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रमुख उपाय

- चोरी एवं दुरुपयोग किए गए मोबाइल उपकरणों की ट्रैकिंग हेतु CEIR प्रणाली का प्रभावी उपयोग।
- नागरिकों हेतु संचार साथी पोर्टल पर उपलब्ध सुरक्षा सेवाएं।
- I4C एवं NCRB के साथ समन्वय कर साइबर अपराध पैटर्न की पहचान।
- बैंकों के सहयोग से Financial Risk Indicators (FRIs) विकसित कर संदिग्ध लेन-देन की पहचान।

नागरिक जागरूकता एवं शिकायत तंत्र

- साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की तुरंत शिकायत हेतु 1930 हेल्पलाइन।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा।
- सुरक्षित बैंकिंग संचार हेतु 1600 सीरीज नंबरों के प्रति जागरूकता।

संचार साथी पहल की प्रमुख सुविधाएं

- संदिग्ध कॉल एवं संदेशों की रिपोर्टिंग हेतु 'चक्षु' सुविधा।
- खोए अथवा चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने की सुविधा।

- अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी।
- Know Your Mobile Handset (KYM) सेवा।
- अंतरराष्ट्रीय कॉल ट्रैकिंग हेतु RICWIN प्रणाली।

सिम जारी करने संबंधी निर्देश

फर्जी सिम के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सिम जारी करते समय KYC मानकों एवं सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने पर विशेष जोर दिया गया।

खोए/चोरी हुए मोबाइल फोन की रिकवरी पर तीन पुलिसकर्मी सम्मानित

प्रदर्शन संबंधी आंकड़ों के अनुसार, जिला पलवल द्वारा खोए एवं चोरी हुए मोबाइल फोन की रिकवरी हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ जिलों में शामिल रही तथा राज्य के औसत रिकवरी प्रतिशत से भी अधिक दर्ज की गई। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जिला पलवल के तीन पुलिसकर्मियों — कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह एवं कांस्टेबल हरकेश कुमार — को अतिरिक्त महानिदेशक दूरसंचार एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार की कार्यशैली एवं नेतृत्व की भी विशेष सराहना की गई, जिनके मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में पलवल पुलिस साइबर सेल टीम ने यह महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की।

पुलिस अधीक्षक श्री नितीश अग्रवाल ने इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों के संयुक्त आयोजन हेतु दूरसंचार विभाग (DoT) की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अनेक साइबर अपराध फर्जी सिम कार्डों के माध्यम से किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग बड़ी संख्या में सिम कार्ड खरीद रहे हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को लालच देकर उनके नाम पर सिम कार्ड लिए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनके नाम से खरीदे गए सिम कार्ड का उपयोग किसी साइबर धोखाधड़ी में किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति भी जिम्मेदार माना जाएगा। उन्होंने नागरिकों को सलाह दी कि वे केवल अपनी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही सिम कार्ड खरीदें तथा उन्हें पुनः बिक्री के उद्देश्य से न लें। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पुलिस अधीक्षक ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स एवं PoS स्टाफ को निर्देश दिए कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या बड़ी संख्या में सिम कार्ड खरीदे जाने की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

बैठक के दौरान हरियाणा एलएसए के अतिरिक्त महानिदेशक दूरसंचार श्री राधा चरण शाक्य ने राष्ट्र निर्माण तथा माननीय प्रधानमंत्री के "डिजिटल भारत" के विजन को आगे बढ़ाने में सुरक्षित संचार व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है और लगभग हर दूसरी-तीसरी खबर साइबर धोखाधड़ी से संबंधित होती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी हितधारकों को सामूहिक रूप से कार्य करना होगा, क्योंकि यह सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) एवं PoS एजेंटों से सक्रिय सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से साइबर अपराधों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने सिम विक्रेताओं को सिम कार्ड बेचते समय विशेष सावधानी बरतने, खरीदारों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी।

दूरसंचार विभाग एवं पलवल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से स्पष्ट किया गया कि दूरसंचार संसाधनों का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों तथा निर्धारित नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करने वाले PoS एजेंटों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों, निवारक उपायों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं के साथ मजबूत समन्वय को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई, ताकि एक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं जिम्मेदार दूरसंचार तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके।

****